न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–24/2024 दायरा दिनांक :– 15.01.2024
जीसीएमएस नं. :–2024/76

–:: अनवान ::–

1.मनोज बाला पत्नी किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी 1 एस.पी.एम. गोपालसर तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थीया

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र सतपाल जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सतपाल पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सरस्वती पत्नी सतपाल जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. जगदीश पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 51 एल.एन.पी. तह0 पदमपुर, श्रीगंगानगर।
5. मनोहरी देवी पत्नी हरूराम जाति मेघवाल निवासी 51 एल.एन.पी. तह0 पदमपुर, श्रीगंगानगर।
6. लालचन्द पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 51 एल.एन.पी. तह0 पदमपुर, श्रीगंगानगर।
7. सोहनलाल पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 51 एल.एन.पी. तह0 पदमपुर, श्रीगंगानगर।
8. फलकूखां पुत्र दोपूखां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. मोहम्मद सदीक पुत्र दोपूखां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. मोहम्मद सलीम पुत्र दोपूखां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तह0 सूरतगढ, श्रीगंगानगर।
11. शादीखां पुत्र दोपूखां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. रोशन बानो पत्नी रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
13. जै.एच.बैस फार्मस लिमीटेड चक 42 एच. श्रीकरणपुर तह0 श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित:–1.श्री अजय कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री रामकुमार वर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 13
3.पैरोकार राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक :–30.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि चक 9 एम.सी. तहसील सूरतगढ जमाबंदी सम्वंत 2074 से 77 के खाता सं0 20 प0 नं0 158/54 किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 = 2.530 है0, प0 नं0 158/62 किला

—पेज 2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नं0 1 ता 5/1.265 है0, 10, 11, 20 ता 22 = 2.530 है0 कुल 5.060 है0 कमाण्ड खातेदारी है। प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। इस भूमि का निकटतम स्वीकृतशुदा रास्ता उतर दिशा के प0 न 0 158/59 के किला नं0 21 से 25, प0 नं0 178/3 के किला नं0 21 से 25 में है। इस स्वीकृत रास्ता के उतर दिशा में लगभग 7 बीघा दूरी पर पक्की सड़क है। इस स्वीकृत रास्ता व प्रार्थीया की भूमि के मध्य अप्रार्थीगण सं0 1 से 13 की खातेदारी भूमिया है एवं राजकीय भूमि भी है। यह कि प्रार्थीया काफी वर्षो से चालू रास्ता जो कि प0 नं0 158/60 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 प0 नं0 158/61 के भी किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी हिस्सा में एक–एक बिस्वा (8(फुट चौड़ाई) एवं प0 नं0 178/4 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21, प0 नं0 178/5 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिम हिस्सा में एक–एक बिस्वा (8(फुट चौड़ाई) यानि चारो मुरब्बो के मध्य में 16) फुट चौड़ा व 330 फुट लम्बा उतर से दक्षिण दिशा का है में से आना–जाना कर रही है। उपरोक्त चालू रास्ता की भूमि प0 नं0 158/60 के किला नं0 5, 6, 15 राजकीय भूमि है किला नं0 16, 25 अप्रार्थी सं0 4 से 7 की भूमि है। प0 नं0 158/61 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की भूमि अप्रार्थी सं0 13 की है। प0 नं0 178/4 की किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 अप्रार्थी सं0 1 से 3 की है। प0 नं0 178/5 की किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 अप्रार्थी सं0 8 से 12 की है। उपरोक्त रास्ता मौका पर चालू है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण बड़े परीवार है एवं अलग अलग स्थनो पर रहते है एवं भिन्न विचारो के व्यक्ति है। एक मत नहीं है। अतः एक दूसरे के देखादेखी कभी भी रास्ता बंद कर सकते है। यदि किसी भी एक पक्ष द्वारा रास्ता बंद किया जाता है तो प्रार्थीया का अपनी भूमि पर आना जाना बंद हो जाएगा। एवं प्रार्थीया को फसल को नुकसान पहुंचेगा। इस स्थिति से बचने के लिए प्रार्थीया रास्ता स्वीकृत कराना चाहती है। प्रार्थीया की भूमि के लिए उपरोक्त चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रासता की अत्यंत आवश्कता है। रास्ता स्वीकृति की एवज में प्रार्थीया उचित प्रतिफल अदा करने को तैयार है एवं उपरोक्त अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ को मौका एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ की रिपोर्ट आने के पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी के आदेश दिए गए। प्रथम पेशी दिनांक 07.02.2024 को अप्रार्थीगण सं0 1 से 13 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बरवक्त बहस निवेदन किया कि मौका पर रास्ता की अत्यंत आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट से भी रास्ता की आवश्यकता होने एवं रास्ता स्वीकृति की सहमति प्रकट की गई है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में अपनी अपनी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने भी पक्षकारो की सहमति होना प्रकट किया। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट में भी पक्षकारो की सहमति अंकित करते हुए रास्ता की आवश्यकता होने का मत प्रकट किया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी रास्ता स्वीकृत करने एवं प्रतिफल प्राप्त होने का निवेदन किया है। चुंकि रास्ता स्वीकृत करने में किसी पक्ष को कोई आपति नहीं है एवं अपनी भूमि के लिए रास्ता प्राप्त करने का खातेदार का विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोष अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझते है। चुंकि अप्रार्थीगण ने रास्ता की भूमि की एवज में प्रतिफल प्राप्त करना अंकित किया है। अतः अप्रार्थीगण को कोई राशी प्रतिफल के रूप में दिए जाने की आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। चक 9 एम.सी. तहसील सूरतगढ के प0नं0 158/60 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 प0 नं0 158/61 के भी किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी हिस्सा में एक–एक बिस्वा (8(फुट चौड़ाई) एवं प0 नं0 178/4 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21, प0 नं0 178/5 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिम हिस्सा में एक–एक बिस्वा(8(फुट चौड़ाई) यानि चारो मुरब्बो के मध्य में 16) फुट चौड़ा व 330 फुट लम्बा उतर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) को उपरोक्त अनुसार रास्ता स्वीकृति का रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ